



--:न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा :-

बइलास राजेश डागा (आर .ए.एस.)

मिसल न० /

तारीख दायरा-

बचनवान

परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
-वादी-

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
-प्रतिवादी-

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट  
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री किशोरी लाल चौधरी एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- पैरोकार सरकार।

--:निर्णय :-

दिनांक :- 12/11/2022

संक्षेप मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार हैं, कि वादी के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं० नई 386 के खसरा नं० 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं० 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं० 1134 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं० 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 कित्ता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात स्थित है, उक्त आराजीयात वादी के शांती पूर्वक कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से नाबालिग प्रमेशचन्द पुत्र महेन्द्र कुमार संरक्षक वली दादा रामप्रताप दर्ज है। वादील का नाम उक्त आराजी मे गलत रूपसे प्रमेश चन्द दर्ज होने से वादी का नाबालिग का नोट भी नहीं हटा है, वादी के राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने व नाबालिग दर्ज होने से वादी को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व सरकार से मुआवजा व अन्य सहायता/ अनुदान राशि प्राप्त करने से भी वंचित रहना पड रहा है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र,

2.....

सत्य प्रतिलिपि

उप स्रण्ड अधिकारी  
सांगोद (कोटा)

उपस्रण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद (कोटा)

जन आधार कार्ड, व विघालय रेकार्ड अंक तालिका आदि सभी मेवादी का नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज है, जिससे वादी का नाम परमेश्वर शर्मा होने की पुष्टि होती है। वादी द्वारा आज से एक माह पूर्व पटवारी हल्का महोदय से वादीके गलत नाम प्रमेशचन्द्र पुत्र महेन्द्र कूमार के स्थान पर वास्तविक नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेशचन्द्र को दुरस्त करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेश चन्द्र को दुरस्त करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करने से मना कर दिया और माननीय न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत करके व नाबालिग के स्थान बालिग दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, कि वादी के एकल खाते व कब्जे काश्त की बाराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं० नई 386 के खसरा नं० 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं० 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं० 1134 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं० 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द्र को दुरस्त कर परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत हाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई राजहित प्रभावित नही होने बावत अपनी सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त बहस वादी सुनी गई, जिसमे वकील वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराया गया, और उक्त वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की गई। मैने उक्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार प्रतिवादी उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं० नई 386 के खसरा नं० 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं० 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं० 1134 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं० 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द्र को दुरस्त कर प्रमेशचन्द्र उर्फ परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के

सत्य प्रतिलिपि  
उप सप्ट अधिकारी  
सांगोद (कोटा)

उपसप्ट मजिस्ट्रेट  
सांगोद (कोटा)

3.....

अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाकर नम्बर से कम की जावे।



(राजेश न्याय)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेश न्याय)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सत्य प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी  
सांगोद (कोटा)

112

फर्द डिकी मुकदमात इत्तदाई  
आर. रूल्स 6-7 जाक्ता दीवानी

निर्णय बइलास राजेश डागा (आर. ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद मिसल नं० 94/202;  
तारीख दायरा:- 20.07.2022

बउनवान

परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील  
सांगोद जिला कोटा राजस्थान। -वादी-

बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद  
जिला कोटा राजस्थान ।

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट  
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

दिनांक:- 12/11/2022

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा (आर. ए. एस.) व हाजरी  
श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट, एवं पैरोकार सरकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई  
रूबरू श्री ..... मिन मुद्दायज पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माज ग्राम  
सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खता सं० नई386 के  
खसरा नं० 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं० 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं० 1134  
की 0.25 हेक्टर, खसरा नं० 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर  
आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर प्रमेशचन्द  
उर्फ परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के रूथान पर बालिग दर्ज कियेजाने की  
घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त  
कर राजस्व रीकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की  
घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाती है।

मिन मुद्दायज पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माज ग्राम

उपखण्ड अधिकारी (सांगोद)

राजेश चन्द ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सत्य प्रतिनिधि  
उप खण्ड अधिकारी  
सांगोद (कोटा)

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

१५/२०२२

क्रमांक / LR / 2023 / ४५५

दिनांक- २०/०३/२३

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं० १५/२०२२  
उनवान परमेबकल / राजू हरका में जारी डिक्री दिनांक  
२०/११/२२ की पालना में ग्राम साशो में नामान्तरकरण सं० १२९५  
दिनांक ३०/११/२३ को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी  
है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा



प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

## जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- सांगोद  
पटवार हल्का :- सांगोद  
भू.अभि.नि. :- सांगोद  
तहसील :- सांगोद  
जिला :- कोटा

सम्बत :- 2076 - 2079  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 386  
खाता संख्या पुराना :- 382

काश्तकार का नाम:-

1. प्रमेशचन्द उर्फ परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्रकुमार हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1132	0.3300	दीगर पीवल	0.3300	5.94	स्वीकृत नामान्तरकरण : 1795 30/01/2023 न्याया. आदेश	
1133	0.1700	दीगर पीवल	0.1700	3.06		
1134	0.2500	दीगर पीवल	0.2500	4.50		
1135	0.0500	दीगर पीवल	0.0500	0.90		
कुल खसरे - 4	0.8000		0.8000	14.4000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

**NIC**